कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांक 2370 / 12-1 दिनांक, 16/03/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1849 / 12–1 दिनांक 26.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी 3 बिन्दुओं पर सूचना निम्नानुसार आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित की जा रही हैः–

1. **For what propvision lease was sanctioned?:-** उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है की सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की शा0दे0सं0 1963 / 14–2–78 / 74 दिनांक 03.07.1975 से श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ रामनगर में रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे प्लॉट सं0 08 एवं 09 की 2700 वर्गफी0 वन भूमि 30 वर्षो के लिए लीज पर दिये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। परन्तु लीजधारक द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.03.78 के माध्यम से लीज भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालन करने हेतु अनुमति चाही गयी। जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 6374 / 14–2–578 / 74 दिनांक 26.06.1978 के माध्यम से सचिव, उत्तरप्रेदश शासन, लखनऊ के द्वारा अनापत्ति जारी की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है किः–

   " यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से " नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट" प्राप्त कर लेते है तो उन्हें कृषि सेवा केन्द्र(Agricultural implements workshop) के स्थपनार्थ शासनादेश संख्या 1963 / 14–2–78 / 74 दिनांक 03.07.1975 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।"

   इस प्रकार लीजधारक को प्रश्नगत लीज भूमि पर कृषि सेवा केन्द्र(Agricultural implements workshop) के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी।

2. **Is there any violiation of lease deed?** लीजधारक द्वारा प्रश्नगत लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है, कृषि सेवा केन्द्र का निर्माण नहीं किया गया है।

   साथ ही लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया है की भारत सरकार द्वारा बेरोजगार इंन्जीनियरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि सेवा केन्द्रों को खुलवाया गया था। परन्तु इस स्कीम के असफल होने के काराणों को जानने के लिए भारत सरकार द्वारा समिति बनाई गयी, जिसने असफलता के कारणों को देखते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इनके पुनर्वास की अनुशंसा की गई थी। तब भारत सरकार ने तत्कालीन लोकसभा में भी इन इन्जीनियरों के पुनर्वास के लिए तत्कालीन

पेट्रोलियम मंत्री की सहमति से प्रभावित इन्जीनियरों को पेट्रो प्रोडक्ट की पेट्रोल पम्प की डीलरशिप देने आदि के लिए साक्षात्कार के द्वारा आवंटन दिया गया। **(छायाप्रति संलग्न)**

3. **Lease originaly was granted till 2005. Why it has not been renewed after2005?** इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार लीजधारक द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु प्रथम आवेदन वर्ष 2008 में उनके पत्र दिनांक 22.02.2008 द्वारा किया गया था। जिसके उपरान्त उनके द्वारा पुनः पत्राचार वर्ष 2013 में किया गया, जिसके क्रम में लीजधारक को लीज नवीनकरण प्रस्ताव गठित कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 05.09.2019 को प्रस्ताव आनलाईन माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। तत्पशचात समय–समय पर विभिन्न स्तर से लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु पत्रचार अतिथि तक गतिमान है।

भवदीय,

(दिगन्थ नायक)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(दिगंथ नायक)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर